के0के0 चौधरी
एम0डी0एस0
कुलसचिव

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
आई0ई0टी0 कैम्पस, सीतापुर रोड, लखनऊ– 226021
दूरभाष: 0522–2632793
फैक्स: 0522–2632186

पत्रांक:– ए0के0टी0यू0/कुलसचिव/सं0नि0/2015/6726–7347
दिनांक: 07–08–2015

College Code 077

प्रेषक,

निदेशक / प्राचार्य,

Dr. K.N. Modi Institute of Engg. & Technology Ghaziabad

DELHI - MEERUT ROAD, OPPOSITE SBI MAIN BRANCH

विषय: सीमेस्टर सत्र 2015–17 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदत्त किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में सन्दर्भ संख्या 254(III)/सी0ए0–1/2015–16(3)/2015 दिनांक 01.08.2015 में निर्गत शासनादेश के अनुपालन, विश्वविद्यालय से पारित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन गठित कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार सूचित किया जाता है –

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	Intake Kept in abeyance	Affiliation Intake Approved
B.TECH.	CHEMICAL ENGG.	Shift I	60	0	60
B.TECH.	CIVIL ENGG	Shift I	120	0	120
B.TECH.	COMPUTER SC. & ENGG.	Shift I	120	0	120
B.TECH.	ELECTRICAL ENGG.	Shift I	60	0	60
B.TECH.	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG	Shift I	60	0	60
B.TECH.	INFORMATION TECHNOLOGY	Shift I	60	0	60
B.TECH	MECHANICAL ENGG	Shift I	120	0	120
M.B.A	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	Shift	60	0	60

उपरोक्तानुसार अंकित प्रवेश संख्या के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015–17 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थायी सम्बद्धता की शर्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं, पुस्तकालय हेतु निर्धारित भवन, फर्नीचर/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात इत्यादि नियमों तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता तथा निर्गत मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ–साथ संस्था के लेखा का ऑडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।

3. बी.फार्म/एम.फार्म/बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया एवं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं सम्बन्धित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक पूर्ण करने की दशा में एम.सी.ए. पी.सी.आई., एम.बी.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश अगर से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता तथा निर्गत मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

4. संस्था प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी निर्देशों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही वैधानिक मानी जायेगी। शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट सूचना संस्था स्तर से उपलब्ध कराकर अद्यतन करेगी अन्यथा प्रवेश बन्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन अवलोकन के समय जारी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी सूचना के समय संस्था द्वारा दी गयी सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था की प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता तथा निर्गत मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित डा0ए0पी0जे0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय–6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किए जाने तथा संस्था की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

7. सत्रारम्भ से अगस्त, 2018 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उक्त अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अर्हित व योग्य गैर शैक्षणिक आदि सहायक शिक्षक एवं लिपिकीय/प्रशासनिक की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा उनके से सम्बन्धित संस्था अनिवार्यतः विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा तथा इस आशय का नोटराईजड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूटरचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्था का प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था/संस्थान का होगा।

8. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के प्रिंसिपल/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर संस्था को पद चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर लेना होगा जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य प्रेषित करायें। (अध्याय 8.16)

9. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् सम्बन्धित में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (अर्थ दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवगत सूचित करें। (अध्याय 8.18)

10. शैक्षिक एवं शिक्षणेतर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय 6.25बी)

11. शैक्षिक एवं सम्बद्ध प्रपत्रों की सम्पूर्ण जानकारी संस्था के सूचना पट्ट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होनी चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध करायेगा। (अध्याय 8.14)

12. संस्था की सम्पूर्ण सूचनाएं संस्था के सूचना पट्ट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होनी चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध करायेगा सुनिश्चित करें। (अध्याय 8.16)

13. संस्था द्वारा अपने से किसी भी शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने पर निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का पत्र अनुरूप स्वतः निरस्त हो जायेगा।

15. फार्मेसी तथा आर्किटेक्चर के समस्त विषय के समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इण्डिया (प्रथम चालू) का सत्र 2016-17 हेतु मान्यता का आदेश प्रदेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। अन्यथा मान्यता अथवा अध्यन रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा संस्थान सत्र 2016-17 में किसी भी नये कोर्स को पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश नहीं दे सकेगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था/संस्थान का होगा।

16. संस्था का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय अचानक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण के निर्धारित मानकों के पालन कमियों की अधिमान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

17. जिन राज्यों में अलग राज्य एवं विश्वविद्यालय के गठन के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निर्देश अथवा आदेश जारी है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता स्वतः कार्यवाही के अधीन होगी।

18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से शासन/सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

19. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा यदि संस्था द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

20. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में सम्बन्धित/अधिमान्यता प्राप्त शुल्क वही लिये जाए जो समय-समय पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।

21. AMS (Academic Monitoring system) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या- ACO/प्र0अधि0/कुलसचिव/2014/ 4414-21 दिनांक 1.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्य हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिये गये उत्तरदायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुसार शिक्षक अथवा शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपलब्धता एवं नियुक्ति करना सुनिश्चित करेगी। अतिरिक्त कारणवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुरोध प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

23. नियामक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के सापेक्ष अतिरिक्त भूत फीस के सम्बन्ध में जिन कक्षाओं का पत्र वर्ष मानीकरण 60 प्रतिशत से न्यून थे, उनकी स्थगित प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धता सत्र 2016-17 हेतु स्थगित रखा गया है। शासनादेश सं0 2017-18 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इसे पूनर्जीवित करने या समाप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(डी0पी0 चौधरी)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।